प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ: दिनांकः 26 मार्च, 2018**

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0409-खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजनान्तर्गत वेतन भत्तों की मदों में हो रही बचतों के सापेक्ष इसी योजना की विभिन्न मदों में धनराशि रू0-27.00 लाख की व्यवस्था पुर्नविनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-304/बजट/2017-18 दिनांक 15.03.2018 एवं शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-619/ई-1/दस-2018, दिनांक- 24.03.2018 पृष्ठांकन संख्या-442/58-2-2018-300(3)/2018 दिनांक-26.03.2018 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करनेका कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत** 2401-119-**04-0409 -खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजनान्तर्गत वेतन भत्तों की मदों में हो रही बचतों के सापेक्ष इसी योजना की विभिन्न मदों में धनराशि रू0-27.00 लाख की व्यवस्था** पुर्नविनियोग के माध्यम से निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	अवमुक्त की जा रही रही धनराशि
10	**2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04-फल-**			
	0409-खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना			
	02-मजदूरी	**6.18**	**2.00**	**2.00**
	09-विद्दुत देय	**15.00**	**5.00**	**5.00**
	10-जलकर/जल प्रभार	**2.20**	**2.00**	**2.00**
	17-किराया, उप शुल्क और कर-स्वामित्व	**23.00**	**3.00**	**3.00**
	49-चिकित्सा व्यय	**9.90**	**15.00**	**15.00**
	योग-	**56.28**	**27.00**	**27.00**

(रूपया सत्ताई लाख मात्र)

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- भण्डार क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

5- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

6- उक्त संस्थाओं को अनुदान की स्वीकृत धनराशि शासन द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

7- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

8- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2017/बी-1-02/दस-2017-201/2017, दिनांक-02.02.2017, संख्या-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 एवं संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.11.2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-46/2018/487(1)/58-2-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in